# उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

**आर0एम0ए0 नं0–112/2011–12**

**मीना देवी**

**बनाम्**

**खिसरी यादव एवं अन्य**

## –: आदेश :–

दिनांक 30/5/23

सुनवाई की निर्धारित तिथि को उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता मीना देवी, पे0–श्याम राय, सा0–कुसमीघाट, थाना–महागामा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के रा0वि0 वादसं0–111/2009–10 के आदेश दिनांक–26.12.2011 एवं आर0ई0आर0 केश नं0–94/2006–07 के आदेश दिनांक–10.07.2008 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्त्ता की ओर से दाखिल अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्त्ता ने उत्तरवादीगण के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत आर0ई0आर0 केश नं0–94/2006–07 दायर किया था। उक्त वाद में उत्तरवादीगण की ओर से बंदोवस्ती केश नं0–201/64–65 एवं बंदोवस्ती केश नं0–310/65–66 का छायाप्रति के साथ भूदान पट्टा, अंचल अधिकारी, महागामा का प्रतिवेदन एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के अंतिम आदेश का प्रति दाखिल किया गया। उपरोक्त कागजातों के आधार पर विवादित जमीन दाग नं0–44 रकवा 00–18–10 धुर एवं दाग नं0–52 रकवा 01–13–10 धुर जमीन उत्तरवादीगण के द्वारा प्राप्त करने का दावा किया गया। लेकिन गहन जाँच के बाद अपीलकर्त्ता को पता चला कि उपरोक्त कागजात जाली थे। उत्तरवादी ने न्यायालय को धोखा देकर मौजा–हसायकित्ता के जमाबंदी सं0–18, दाग नं0 –44 एवं 52 के जमीन के संबंध में दिनांक–10.07.2008 को आदेश प्राप्त किया था। अपीलकर्त्ता के द्वारा उपरोक्त कागजातों बंदोवस्ती केश नं0–310/65–66 एवं बंदोवस्ती केश नं0–210/64–65 की अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए जिला अभिलेखागार, गोड्डा में आवेदन सं0–180 दिनांक–29.12.2008 एवं आवेदन सं0–181 दिनांक–29.12.2008 दाखिल किया था। प्रभारी पदाधिकारी, जिला प्रतिलिपि शाखा, गोड्डा के द्वारा बताया गया कि उपरोक्त उल्लेखित कागजात जिला अभिलेखागार, गोड्डा में नहीं

है। इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अपीलकर्त्ता को पता चला कि उत्तरवादीगण के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय में दाखिल कागजात जाली एवं मनगढ़त है। बाद में उपरोक्त तथ्यों को जाली बताते हुए अपीलकर्त्ता की ओर से रा0वि0 वाद सं0–111/2009–10 दायर किया गया। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा उत्तरवादीगण की ओर से दाखिल जाली कागजात के संबंध में न तो जाँच किया गया और न ही उत्तरवादीगण के विरूद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की गयी। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश सही नहीं है। उन्होंने अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादीगण की ओर से दाखिल लिखित बहस में उल्लेख किया है कि वर्तमान अपील मौजा–हसायकित्ता के दाग नं0–44 रकवा 00–18–10 धुर एवं दाग नं0–52 रकवा 01–13–10 धुर जमीन से संबंधित है। उक्त जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मोसमात बिटाली, पति–चमरू राय के नाम से दर्ज है। मोसमात बिटाली अपने पीछे दो पुत्री मोसमात डोमनी एवं मोसमात लखिया को छोड़कर फौत कर गयी। मोसमात डोमनी ने उक्त जमीन भूदान यज्ञ समिति, देवघर को दान कर दिया था। उसके बाद भूदान यज्ञ समिति, देवघर के द्वारा भूटान पट्टा के माध्यम से जगदीश यादव को उक्त जमीन प्राप्त हुआ एवं भूदान पट्टा की सम्पुष्टि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के केश नं0–310/65–66 एवं 201/64–65 के द्वारा हो गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के द्वारा भूदान पट्टा को सम्पुष्टि अंचल अधिकारी, महागामा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर किया है। उनके द्वारा आगे उल्लेख किया गया है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा दोनों पक्षों को सुना एवं दाखिल कागजातों का जाँच कर पूर्णतः संतुष्ट होकर उत्तरवादीगण के दावा को स्वीकार किया गया है एवं अपीलकर्त्ता के दावा को खारिज किया है। इसलिए अपीलकर्त्ता का अपील आवेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है। उन्होंने अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आदेश को सम्पुष्ट करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक–149/रा0 दिनांक–14.03.2020 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–हसायकित्ता, थाना नं0–676 जमाबंदी नं0–18, दाग नं0–44 रकवा 00–18–10 धुर एवं दाग नं0–52 रकवा 01–13–10 धुर भूमि खतियान में मो0 बिटली जौजे चमरू राय के नाम से दर्ज है। मो0 बिटली को दो पुत्री मो0 डोमनी एवं मो0 लुखिया थी। मो0 डोमनी को दो पुत्र गजन राय एवं श्याम राय हुए और अपनी माँ की जमीन पर दखलकार हुए। गजन राय को

दो पुत्र चुल्हो राय एवं मूलो राय हुए। श्याम राय को तीन पुत्री क्रमशः जया देवी, मीना देवी (आवेदिका), थाना–महागामा, जिला–गोड्डा है। विपक्षी खिसरी यादव के द्वारा उक्त भूमि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के न्यायालय के भूदान पट्टा बंदोवस्ती केश नं0–310/65–66 एवं भूदान पट्टा बंदोवस्ती केश नं0–201/64–65 के आधार पर प्राप्त करने से संबंधित कागजात की छायाप्रति समर्पित किया गया है, जो जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। वर्तमान में उक्त भूमि पर खिसरी यादव का दखल है। खतियानी रैयत से खिसरी यादव का कोई संबंध नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–हशाईकिता थाना नं0–676, जमाबंदी नं0–18 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मो0 विटली जौजे–चमरू राय कौम–घटवाल, सा0–कुशमीघाट के नाम से दर्ज है, जिसके अन्तर्गत दाग नं0–44 रकवा 00–18–10 धुर एवं दाग नं0–52 रकवा 01–13–10 धुर जमीन उत्तरवादी के द्वारा भूदान यज्ञ समिमि, देवघर से भूदान पट्टा के माध्यम से प्राप्त करने का दावा किया गया है एवं उत्तरवादी का कथन है कि उक्त भूदान बंदोवस्ती पट्टा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के बंदोवस्ती वाद सं0–201/64–65 एवं 310/65–66 के आदेश द्वारा सम्पूष्ट किया गया है। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा उक्त बंदोवस्ती संपुष्टि से संबंधित कागजात जाली कहे जाने पर उत्तरवादी से भूटान पट्टा के सत्यापित प्रति की मांग की गई। लेकिन उत्तरवादी के द्वारा भूदान पट्टा के सम्पुष्टि के संबंध में कागजात दाखिल नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरवादीगण का दावा संदिग्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता का दावा स्वीकार्य योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के रा0वि0 वाद सं0–111/2009–10 के आदेश दिनांक –26.12.2011 के आदेश को निरस्त किया जाता है एवं मौजा–हशाईकिता थाना नं0–676, जमाबंदी नं0–18, दाग नं0–44 रकवा 00–18–10 धुर एवं दाग नं0–52 रकवा 01–13–10 धुर जमीन के संबंध में पुनर्विचार हेतु अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को प्रतिप्रेषित किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार आदेश पारित करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा

उपायुक्त,
गोड्डा

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 12:25:49 +05:30
Location: 172.21.32.1